14217 - उसे हज्ज के दौरान मासिक धर्म आ गया और वह वहाँ नहीं रुक सकती

प्रश्न

एक महिला हज्ज के लिए आई और हज्ज के लिए एहराम में प्रवेश करने के बाद उसे मासिक धर्म आना शुरू हो गया, और उसका महरम तुरंत यात्रा करने के लिए मजबूर है, जबकि मक्का में उसका कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुक्म है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

वह महिला उसके साथ यात्रा करेगी और अपने एहराम की स्थिति में बाक़ी रहेगी। फिर जब वह पवित्र हो जाएगी, तो वापस आएगी। यह उस समय है जब वह दो पवित्र मस्जिदों के देश में रहने वाली है। क्योंकि उसके लिए वापस आना आसान है और इसमें कोई बहुत परेशानी (थकान) या पासपोर्ट आदि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वह एक विदेशी है और उसके लिए वापस आना मुश्किल है, तो फिर वह अपने गुप्तांग पर कपड़े का एक टुकड़ा बाँध लेगी (ताकि खून न बहे और मस्जिद को दूषित न करे), और वह तवाफ़ और सई करेगी और अपने बाल काटेगी और उसी यात्रा में अपना उम्रा समाप्त कर देगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका तवाफ़ एक आवश्यकता बन गई और आवश्यकता निषिद्ध चीज़ को अनुमेय कर देती है।

जहाँ तक तवाफ़ अल-वदा' (विदाई तवाफ़) का संबंध है, तो आपको विदाई तवाफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मासिक धर्म वाली महिला के लिए, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस के अनुसार, विदाई तवाफ़ करना अनिवार्य नहीं है : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों को आदेश दिया कि उनका आखिरी काम काबा का तवाफ़ (परिक्रमा करना) होना चाहिए, परंतु आपने मासिक धर्म वाली महिला को छूट दी है।”

तथा इसलिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बताया गया कि सफ़िय्या रज़ियल्लाहु अन्हा तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा कर चुकी हैं, तो आपने फरमाया : “फिर तो उसे प्रस्थान करना चाहिए।” इससे पता चलता है कि मासिक धर्म वाली महिला से विदाई तवाफ़ माफ़ हो जाता है। लेकिन तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा आपके लिए आवश्यक है।

शैख मुहम्मद इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह का फतवा देखें, पत्रिका मासिक धर्म के बारे में 60 प्रश्न।